

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्त्दाई  
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाबता दिवानी)  
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")  
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

1. पूरणाराम पुत्र तेजाराम जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह तहसील व जिला चूरु
2. महेन्द्र पुत्र तेजाराम जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह तहसील व जिला चूरु  
-वादीगण-

बनाम

1. पालाराम
2. धन्नाराम
3. रामचन्द्र
4. परमेश्वरी पत्नी रतिया उर्फ रतू जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह तहसील व जिला चूरु
5. बिड़दी पत्नी बालूराम
6. भैराराम पुत्र बालूराम
7. प्रताप पुत्र बालूराम
8. लीलाधर पुत्र बालूराम
9. संतोष पुत्री बालूराम पत्नी झिण्डूराम जाति नायक निवासिनी ढाणी लिछमणसिंह हाल निवासिनी हरसावा तहसील फतेहपुर जिला सीकर
10. राजू पुत्री बालूराम पत्नी आनन्दपाल जाति नायक निवासिनी ढाणी लिछमणसिंह हाल निवासिनी चरखी दादरी महेन्द्रगढ (हरियाणा)
11. बीरू पुत्र नथू जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह तहसील व जिला चूरु
12. गुली पुत्री तेजाराम पत्नी सुलतानाराम जाति नायक निवासिनी ढाणी लिछमणसिंह हाल निवासिनी गोगामेड़ी जिला हनुमानगढ
13. बिमला पुत्री तेजाराम पत्नी हीरालाल जाति नायक निवासिनी ढाणी लिछमणसिंह हाल निवासिनी कुनंता (हरियाणा)
14. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चूरु
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरु

-प्रतिवादीगण-

दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए..  
मुकदमा नं. 31 सन् 2013


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी श्री राकेश सहारण एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदईब व श्री पंकज शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी सं. 12, 13 मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर लोक अदालत की भावना से दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 3, 49, 52, 68 तादादी क्रमशः 6.04, 3.19, 4.19, 12.01 कुल किता 4 कुल तादादी 27 बीघा 3 विश्वा रोही ग्राम ढाणी लिछमणसिंह तहसील चूरु की भूमि का खाता विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार किये जाने का आदेश दिया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व पता	खसरा नम्बर मय पासा	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	1. पूरणाराम पुत्र तेजाराम 1.4306 हिस्सा जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह खातेदार	52 सम्पूर्ण 3 मी.	1.2520 0.1265	बारानी बारानी	3.22 0.32
	2. महेन्द्र पुत्र तेजाराम 1.4306 हिस्सा जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह खातेदार	68 मी.	1.1508	बारानी	2.96
	3. गुली पुत्री तेजाराम 0.2864 हिस्सा जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह खातेदार	किता-3	2.5293	बारानी	6.50
	4. विमला पुत्री तेजाराम 0.2864 हिस्सा जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह खातेदार				
2.	बीरू पुत्र नथूराम सम्पूर्ण हिस्सा जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह खातेदार	68 मी.	1.4543	बारानी	3.74
3.	1. बिड़दी पत्नी बालूराम 0.1907 हिस्सा जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह खातेदार	49 सम्पूर्ण 68 मी.	0.9991 0.4426	बारानी बारानी	2.57 1.14
	2. भैराराम पुत्र बालूराम 0.1907 हिस्सा जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह खातेदार	किता-2	1.4417	बारानी	3.71
	3. प्रताप पुत्र बालूराम 0.1907 हिस्सा जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह खातेदार				
	4. लीलाधर पुत्र बालूराम 0.1907 हिस्सा जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह खातेदार				
	5. सन्तोष पुत्री बालूराम 0.1907 हिस्सा जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह खातेदार				
	6. राजू पुत्री बालूराम 0.1907 हिस्सा जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह खातेदार				
4.	1. परमेश्वरी पत्नी रतीराम 0.2861 हिस्सा जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह खातेदार	3 मी.	1.4417	बारानी	3.70
	2. पालाराम पुत्र रतीराम 0.2861 हिस्सा जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह खातेदार				
	3. धन्नाराम पुत्र रतीराम 0.2861 हिस्सा जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह खातेदार				
	4. रामचन्द्र पुत्र रतीराम 0.2861 हिस्सा जाति नायक निवासी ढाणी लिछमणसिंह खातेदार				



  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चूरु

यदि किसी खातेदार का हिस्सा बैंक के रहन है तो वह यथावत् रहन रहेगा। तहसीलदार, चूरु को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31 माह अक्टूबर सन् 2017 को जारी की गई।



(श्वेता कोचर)  
उपखण्ड अधिकारी, चूरु

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर 2017 को जारी किया गया।  
दिनांक 31 अक्टूबर 2017

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर 2017 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
चूरु